



OFFICE OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, NACHAN FOREST DIVISION, AT
GOHAR, DISTRICT MANDI, HP -175029.
Phone & Fax 01907-250267, e-mail-nachandfo123@gmail.com

No./RK./---1859---

Dated---31/05/2025---
To:- C.F.(T) Mandi

From: DFO Nachan.

Subject :- Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/0 to 2/003) within the jurisdiction of Nachan Forest Division Distt. Mandi. Online proposal no:- FP/HP/Road/17841/2017.

ज्ञापनः

उपरोक्त प्रस्तावना भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/18/2019 दिनांक 31.07.2020 जो की अतिरिक्त मुख्य सचिव वन हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्बोधित तथा नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0) हि0 प्र0 सरकार टालैंड शिमला के साथ-साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित है में लगाई गई शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण कर ली गई है व मदवार सूचना जो प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त हुई है आपके कार्यालय को निम्न प्रकार से शर्तवार प्रेषित की जा रही है:-

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर:-

क्र0स0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	मंजूर/नामंजूर
1	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	वन भूमि की विधिक स्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 2.42 हे0 ND-180 Samahanidhar में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मु0 रु0 681152/- UTR No. PUNBD 21012009952 दिनांक 12.01.2021 के तहत कैम्पा के खाते में जमा करवा दी गई है। प्राप्त राशी से वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 2.

		42 हे0 ND-180 Samahanidhar में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
(ख)	राज्य शासन द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही कम्पार्टमेंट/खसरा कमांक की जानकारी एवं प्रत्येक कम्पार्टमेंट/खसरा में वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
(ग)	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
(घ)	राज्य सरकार निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA, 1980 के उल्लंघन फलस्वरुप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में Online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% interest date/year of violation से deposit किये जाने की तिथि तक calculate किया जाएगा एवं एफ.सी.ए., 1980 के उल्लंघन पर कार्यवाही guideline para 1.21 (ii) (c) (d) के अनुसार सुनिश्चित कर इस कार्यालय को सूचित करेगी।	राज्य सरकार निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA, 1980 के उल्लंघन फलस्वरुप Penal NPV की निर्धारित राशि मु0 1174320/- जिसमें 12% interest date/year of violation से deposit किये जाने की तिथि तक calculate किया गया है को UTR No. PUNBD 21012009952 दिनांक 12.01.2021 के तहत कैम्पा के खाते में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Online web portal के माध्यम से जमा करवा दिए गए हैं इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतय सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का

	<p>आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।</p>	<p>वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>
<p>5</p>	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य</p>	
<p>(क)</p>	<p>इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5द्य-3/2007- एफ.सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.21 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p>	<p>इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5द्य-3/2007- एफ.सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण से 1.21 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य मु0 845800/- राशी UTR No. PUNBD 21012009952 दिनांक 12.01.2021 के तहत कैम्पा के खाते में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवा दी गई है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>
<p>(ख)</p>	<p>विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त</p>	<p>शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>

	राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	
6.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गयी है अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 67 से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र पहले ही Online web portal में अपलोड कर दिया गया है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई) पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण फंड पोर्टल के माध्यम UTR No. PUNBD 21012009952 दिनांक 12.01.2021 के तहत कैम्पा के खाते में जमा करवा दी गई है। इस आशय का


10	प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार यथासंभव, सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमयन साईनेज लगाये जाएंगे।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रयाप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना	शर्त स्वीकार्य है।

	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघनकर्ता पर कार्रवाई होगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
23	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागिय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
24	यदि कोई अनय सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेदारी होगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड कर दी जाएगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्त।

Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
At Gohar-175029.

Endst. No. 1860 Dated Gohar, the 31/05/2025
Copy w.r.t. his office letter No. SRJ-WA-(Forest Case)/2025-873 dated
19.05.2025 is forwarded to the Executive Engineer, HPPWD, Seraj at Janjehli, Tehsil
Thunag, District Mandi, (H.P.) for information and necessary action please.


**Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
At Gohar-175029.**


वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	वन भूमि की विधिक स्थिति नहीं बदली जायगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD, Division,
Saraj at Janjehli

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक
31.07.2020

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

c/s


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD Division,
Sargat Jambhli

Place:-

Date:-

UNDERTAKING

विषय - :

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/0 to 2/003) within the jurisdiction of Nachan Forest Division Distt. Mandi. Online proposal no:- FP/HP/Road/17841/2017.

संदर्भ :-

भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/105/2019/एफ.सी./172
दिनांक/19.07.2021.

क्र०स०	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 2.42 हे० ND-180 Samahanidhar में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मु० रु० 681152/- UTR No. PUNBD 21012009952 दिनांक 12.01.2021 के तहत कैम्पा के खाते में जमा करवा दी गई है। प्राप्त राशी से वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 2.42 हे० ND-180 Samahanidhar में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
(ख)	राज्य शासन द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही कम्पार्टमेंट/खसरा क्रमांक की जानकारी एवं प्रत्येक कम्पार्टमेंट/खसरा में वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।	शर्त स्वीकार्य है।
(ग)	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त एफ.सी.ए. प्रकरण में लिए गए सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18/2019 / दिनांक 31.07.2020.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18/2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
3. प्रतिपूरक वनीकरण:		
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 2.42 हे० N-180 Samridhar में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि के बचें।	यह वन विभाग से सम्बंधित है।
(ख)	राज्य शासन द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही कम्पार्टमेंट / खसरा क्रमांक की जानकारी एवं प्रत्येक कम्पार्टमेंट / खसरा में वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।	यह वन विभाग से सम्बंधित है।
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	यह वन विभाग से सम्बंधित है।
(घ)	राज्य सरकार निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA.1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया जायेगा एवं एफ.सी.ए., 1980 के उल्लंघन पर कार्यवाही guideline para 1.21 (ii) (c) (d) के अनुसार सुनिश्चित कर इस कार्यालय को सूचित करेगी।	राज्य सरकार निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA.1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि 11,74,320/- (UTR PUNBD21012009952) दिनांक 12-01-2021 को कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा कर दी गयी है जिसमें 12% interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की

	तिथि तक calculate किया गया है एवं एफ.सी.ए., 1980 के उल्लंघन पर कार्यवाही guideline para 1.21 (ii) (c) (d) के अनुसार सुनिश्चित कर इस कार्यालय को सूचित करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।
--	---

cks


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Place:-

Date:


Executive Engineer,
HPPWD, Division,
Saraj at Janjehli,
Seraj at Janjehli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.FP/HP/Road/17841/2017)


संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, आवश्यकता अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गयी है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जायेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है



DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Executive Engineer,
HPPWD, Division Engineer,
Saraj at Janjehli,
Seraj at Janjehli

Place:-

Date

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक
31.07.2020


महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
	5 . शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.21 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ) .सी.Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ. सी दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ .सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.21 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की 8,45,800/- राशि (UTR PUNBD21012009952) दिनांक 12-01-2021 को जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण

	की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र और ई चालान सलग्न किया गया है।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई होगी जोकि अंतिम रूप देने के बाद देय हो राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण देने के लिए बाध्य होगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

4/5


 DIVISIONAL FOREST OFFICER,
 NACHAN FOREST DIVISION,
 GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Place:-
 Date:-


 Executive Engineer,
 HPPWD, Division,
 Sarajat Janjehli,
 Serajat Janjehli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक
31.07.2020

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
6.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ. सी. ए के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गयी है अतः राज्य सरकार मा.उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ. सी. ए के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गयी है अतः राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

C/S

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Executive Engineer,
HPPWD, Division Engineer,
Saraj at Janjehli,
Distt. Mandi,

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
7.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 93 Trees एवं 39 saplings (132) से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत भी जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 93 Trees एवं 39 saplings (132) से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में ही काटे जायेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत भी जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

C/S

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Place:-

Date:-

Executive Engineer,
HPPWD, Division,
Saraj at Janjehli,
Seraj at Janjehli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
8.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र पहले से ही अपलोड और जमा किया गया है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

C/S

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Place:-

Date:-

Executive Engineer,
HPPWD, Division,
Saraj at Janjehli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक
31.07.2020.


महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
9 .	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 26,36,120/- की धन राशि (UTR PUNBD21012009952) के माध्यम से दिनांक 12-01-2021 को (https://parivesh-nic-in/) में क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जा चुके हैं। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:-

Date:-


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD, Division Engineer,
Saraj at Janjehllion,
Saraj at Janjehllion

Subject:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)


संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
10	प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार यथासंभव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार यथासंभव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या को बढ़ाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli,
Serajat Janjehli

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-


भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक
31.07.2020.

महोदय :-


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
11	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमयन साईनेज लगाये जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमयन साईनेज लगाये जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

C/S



DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD, Division
Saraj at Janjehli
Distt. Mandi

Place:- Nachan

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति को प्राप्त किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Place:-

Date:-

Subject:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-


भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान को नहीं बदला जाएगा। जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
HPPWD, Divisioneer,
Serajat Janjehli,
Serajat Janjehli


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020.


महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:-

Date:-


DEPUTY FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli
Seraj at Janjehli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक
31.07.2020.

महोदय :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन अवश्य दिया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:-
Date:-

CS
DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Executive Engineer,
HPPWD/Division,
Sarai of Jani

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-


भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
16.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

C/c


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli,
Serajal Janjehli

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020


महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:-

Date:-


NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD: Division,
Saraj at Janjehli,
Seraj at Janjehli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक
31.07.2020.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, उसके साथ ही लक्षित किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

cls

DIVISIONAL FOREST OFFICE,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli,
Seraj at Janjehli

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-


भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

C/S


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli,
Saraj at Janjehli

Place:-

Date:-

Subject:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित बिलकुल नहीं की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

C/S

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli,
Seraj at Janjehli

Place:-

Date:-

Subject:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 /दिनांक 31.07.2020.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलबायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघनकर्ता पर कार्रवाई होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन यदि किया जायेगा तो वन और जलबायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघनकर्ता पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

C/S

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Seraj at Janjehli,
Serajat Janjehli

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित जो भी शर्तें लागू की जाएंगी और उनको पूरा भी किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।

C/S


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD, Division,
Saraj, at Janjehli,
Saraj, at Janjehli

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
23	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:-

Date:-

C/S


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD, Division,
Saraj at Janjehli,
Saraj at Janjehli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kharsi Dughal road (Kms. 0/00 to 2/003), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. FP/HP/Road/17841/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/18 /2019 / दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति राज्य सरकार / प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह जिम्मेवारी ली जाएगी और पूर्णरूप से पालन किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

4/5

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli

Place:-

Date:-